"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी-2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014 — आषाढ़ 6, शक 1936

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :-

क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिले/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक विकास वाहिनी, जशपुर.	फरसाबहार क्षेत्रीय कार्यालय हाउसिंग बोर्ड कालोनी पंजाब नेशनल बैंक के पास, जशपुर दूरभाष नं. 07763-220104, 9303525065	राजस्व जिला जशपुर
2.	फिजा एसोसिएशन, अम्बिकापुर.	इमलीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा दूरभाष नं. 07774-220824, 9424250803	राजस्व जिला सरगुजा
3.	जनमित्रम कल्याण समिति, रायगढ़.	जनमित्रम हाउस, इंडियन स्कूल रोड बड़े अतरमुड़ा केलो विहार रायगढ़ 07762-220083	राजस्व जिला रायगढ़
4.	महिला मंच रोहिणीपुरम, रायपुर.	रोहिणीपुरम रायपुर	रायपुर शहर में स्वीकृत एकीकृत महिला सहायता केन्द्र के माध्यम से पीड़िता को आवश्यक सुविधा/सहायता उपलब्ध करायेंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	सृजन सामाजिक संस्था, राजनांदगांव.	ममता नगर, गली नं. 5 पंचशील कालानी, राजनांदगांव	दुर्ग-भिलाई शहर में स्वीकृत एकीकृत महिला सहायता केन्द्र के माध्यम से पीडिता को आवश्यक सुविधा/सहायता उपलब्ध करायेंगे.

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेगी. साथ ही पीडिता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.